

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT OF INDIA

उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुरुलिया हाईवे

SUB REGIONAL OFFICE PURULIA HIGHWAY

पोस्ट-आजादनगर, मानगो, जमशेदपुर -832110

POST- AZAD NAGAR, MANGO, JAMSHEDPUR- 832110

सं० जमशे/उ०क्षे०का०/व्याक्ति/झार/

No. JSR/SRO/COVERAGE/JH/

दिनांक

Dated

सेवा में,

To,

मेसर्स M/s

Adarsh Seva Sansthan

4th phase, Adarshnagar

Sonari, Jamshedpur - 831011

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों का मेसर्स

पर लागू होना।

Sub: Applicability for the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the Scheme framed thereunder to

M/s Adarsh Seva Sansthan

महोदय,

Sir,

आपके द्वारा दिनांक को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा को किये गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

On the basis of particulars furnished by you on 13/05/14 and on the basis of the inspection of the records of your establishment conducted by the Provident Fund Inspector on 23/05/14 it is evident that :-

(क) आपकी स्थापना /फैक्ट्री अर्थात् मेसर्स जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल कार्य में लगी हुई है।

(a) Your Establishment Factory viz M/s Adarsh Seva Sansthan engaged in Society Which is included in schedule/class of establishment in Employees' Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952.

(ख) उक्त स्थापना / फैक्ट्री में दिनांक को व्यक्ति कार्यरत है।

(b) that the said establishment / factory has employed 20 (Twenty) persons on 26/04/2014

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 16 (1) (ख) के उपबन्धी के अन्तर्गत 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमे, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर तारीख से स्थाई/अस्थायी रूप से लागू है, इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डों की जाँच अभी की जायेगी।

(c) that it has completed the infancy period in terms of provisions of sec. 16 (1) (b) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act. 1952 of 5/3 years on therefore, the provisions of the E.P.F. and Misc Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder are applicable to your above named establishment together with head office and its branches / departments wheather situated at the same places or at different places with effect from 26/04/2014 family / provisionally, subject to further verification of your records for the earlier period.

अधिनियम की धारा 1 (4) के अन्तर्गत स्वेच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या दिनांक के सन्दर्भ में आपकी स्थापना अर्थात् की कोड संख्या एलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना की कार्य क्षेत्र में अस्थायी रूप से लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उपधारा-4 द्वारा द्रष्ट शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी कर लेती।

With reference to your application No dated received for extension of E.P.F & Misc. Provisions Act, 1952 under Section 1 (4) of the said Act on a Voluntary Basis a code No. is hereby allotted to your establishment namely provisionally covering your establishment with effect from pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by subsection (4) of Section 1 of the E.P.F & Misc Provisions Act. 1952

2. आपकी स्थापना की कोड नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात् भविष्य निधि और 1952, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

The Code No JH/JAM/16810 is allotted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder namely, E.P.F. Scheme, 1952 Employees' Pension Scheme 1995 and deposit Linked Insurance Scheme, 1976. This code no. should invariably be quoted in all the correspondences with this office.

3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर मूल वेतन महँगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत को नगद मूल्य सहित) और निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 10% / 12% की दर से प्रतिमाह देय होगी। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की और नियोक्ता द्वारा देय दर के समान होगी।

The contribution payable by the employer shall be at the rate of 10% / 12% of basic wages dearness allowance (including cash value of any food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

(i) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महँगाई भत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।

1. the contribution shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. payable during the whole month wheather paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(ii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन की नजदीकी रुपये में अर्थात् 50 पैसे या अधिक को एक रुपया में तथा 50 से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

2. each contribution shall be calculate to the nearest rupee i.e 50 paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 paise to be ingnored.

(iii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को निकटतम रुपये में पूर्णाकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की गणना नहीं की जाएगी।

3. for the purpose of calculation of contribution, the wages may be round off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ingnored

4. सदस्य की वेतन देने से पूर्व आपके लिये यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटे और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में सम्बन्धित चालानों द्वारा निम्नांकित रूप से जमा कराये।

(क) क० भ० नि० अंशदान	क० भ० नि० लेखा संख्या 1 में जमा कराया जाए।
(ख) प्रशासकीय प्रभार	क० भ० नि० लेखा संख्या 2 में जमा कराया जाए।
(ग) क० पेंशन अंशदान	क० भ० पे० लेखा संख्या 10 में जमा कराया जाए।

Before paying the member his wages, you shall deduct the employees' contributions from his wages which together with your own contribution and administrative shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund nominated by the State Bank of India by seperated challans in the following manner.

(a) E.P.F. contribution	To be deposited in E.P.F.A/c No. 1
(b) Administrative charges	To be deposited in E.P.F. A/c No. 2
(c) Employee's Pension Scheme	To be deposited in Emplpoee's Pension A/c No. 10

टिप्पणी : (i) प्रशासकीय प्रभार की दर 1-8-99 से वेतन, मूल वेतन, महँगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, 1.10% जो न्यूनतम 5 रुपये है।

Note : (i) The rate of administrative charges in 1.10% Subject to a minimum of Rs. 5/- w.e.f. 1-8-98 of pay, basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance. if any.

(6) फार्म संख्या 12-क

यह अंशदान का रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा की गई राशि से सम्बन्धित चालान की तीन प्रतियां इनके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(6) Form No. 12 A

This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th of every following month. Triplicate copies of the challans in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(7) फार्म सं० 5 और 10

यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के दौरान नये सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

(7) Form No 5 & 10

These are the returns of employees' who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months.

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी पेंशन निधि स्कीम, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध है और इन्हें निःशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

All the forms prescribed under the Employees' Provident Fund Scheme 1992, the Employees' Pension Fund Scheme, 1995 and the Deposit Linked insurance Scheme, 1976, are available in the P F Office and will be supplied free of cost on receipt of your indent. The specimen of forms are enclosed.

8. कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान के सम्बन्ध में इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्म में अलग से दिखाकर केवल इस माह से लेखा संख्या 10 में जमा कराया जाना होता है।

Regarding Employees' Pension Fund contributions, it should be separated from the Employees' Provident Fund Contributions and shown separately in the respective Forms and remitted separately in A/c. No. 10, from the month of April 2014 only.

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित स० तक की बकाया राशि को या इनसे पूर्व जमा कराना होता है।

As regards E.P.F. and E.D.L.I dues for the period from 26/04/14 to 31/05/14 the arrears should be remitted on or before 15/06/14.

In case, the employees show in Form 9 were the members of the establishment's Private Provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulations in the Provident Fund standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E. P. F. Account No. 1 through the prescribed challans and the triplicate copy of the challans sent to this office. All the amount relating to

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं 9 से दिखाये गये कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेख संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा कराई जाय और चालान की तीन प्रतियां इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से संबंधित रामस्त प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से संबंधित नोट संलग्न किया जा रहा है। निजी भविष्य के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद से रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसान अदा करनी होगी।

the Provident Fund accumulations laying invested in securities should be transferred to the E. P. F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund and the securities thus transferred should be sent to this office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed. Cash on hand in relation to the Accounts of the Private Provident Fund should be remitted within 30 days from the date of receipt of this communication failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

कृपया पत्र व अनुलग्नकी की प्राप्ति रसीद भेजवाने की व्यवस्था रें :

The receipt of this letter alongwith its enclosures may kindly be acknowledged.

M/s Adarsh Seva Sansthan
4th phase, Adarshnagar
Sonar, Jamshedpur - 831001

कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

रामेश्वर सिंह
जमशेदपुर

For Regional Provident Fund Commissioner
Jamshedpur

अनुलग्नक :

Encl :

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने सम्बन्धी निर्देश।

1. Instructions regarding implementation of the Employees' Provident Fund Scheme, Employees' Pension Scheme and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme.

2. लेखा संख्या एलाट करने सम्बन्धी निर्देश।

2. Instructions regarding allotment of Account Nos.

3. पूर्व भविष्य निधि राशि एवं प्रस्तुतियों को हस्तांतरित करने सम्बन्धित निर्देश।

3. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund accumulation and transfer of securities.